दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून,
24 ए, तृतीय तल , एन सी आर प्लाजा, न्यू कैण्ट रोड ,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
0135-2746287

"CIN NO.U66010DL1947GOI007158"

कार्यालय भवन लीज हेतु सूचना

सील बन्द निविदायें दो बिड सिस्टम के आधार पर व्यवसायिक परिसर किराये पर लेने हेतु जो कि हॉल की शक्ल में हो जो लगभग 800 वर्गफुट क्षेत्रफल (बाथरूम लेवटरी बरामदा इत्यादि छोडकर) इंदिरापुरम (गाज़ियाबाद) शहर में या उसके आस पास होने चाहिये जो कि न्यूनतम 9/10 वर्ष की लीज अवधि के लिये उपयुक्त प्राधिकरण में पंजीकृत की जानी है। जिसमें पंजीयन खर्चे 50 : 50 के अनुपात में वहन किये जायेंगे।

"तकनीकी निविदा" तथा "वित्तीय निविदा" जो कि कारपेट एरिया के आधार पर ही चयन किये जायेंगे। परिसर तुरंत उपयोग हेतु उपयुक्त अवस्था में होना चाहिये जिसमें पावरबैक अप सुविधा के साथ शौचालय महिलाओं एवं पुरूषों के उपयोग हेतु अलग-अलग समुचित वेंटीलेशन के साथ होना चाहिये जो कि एक चौडे मार्ग पर स्थित हो एवं भवन में प्रवेश हेतु उचित व्यवस्था हो, साथ ही पर्याप्त संख्या में चार पहिया वाहनों एवं दो पहिया वाहनों के लिये पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों की निविदाओ पर विचार नहीं किया जायगा।

इच्छुक भवन स्वामी दो अलग-अलग सील बंद लिफाफों में जिसके उपर मोटे शब्दों में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा आलेखित हो में रखें। इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में जिस पर **कार्यालय (शाखा) भवन लीज पर देने हेतु निविदा** मोटे अक्षरों पर लिखा हो में रख कर मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कं0 लि0, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को उपरोक्त लिखित पते पर प्रेषित किया जाना चाहिये जो कि दि0 03/06/2019 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। तकनीकी निविदा दि0 06/06/2019 को शाम 4 बजे खोली जायेगीं।

निविदा हेतु प्रपत्र उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के सम्पदा विभाग से कार्यालय समय पर दि0. 29/05/2019 तक निशुल्क प्राप्त किये जा सकते है अथवा कंपनी की वेबसाईट www.orientalinsurance.org.in के टेंडर (Tenders) से प्राप्त किये जा सकते हैं। सीलबंद निविदायें टेंडर बाक्स में निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व डाल दी जानी चाहिये। विलम्ब से प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी और उनके संबंध मे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। दलाल (ब्रोकर) को किसी प्रकार का कमीशन कंपनी द्वारा देय नही होगा एवं उनके द्वारा दिया जाने वाले प्रस्ताव के साथ भवन स्वामी द्वारा उनके ओर से प्रस्ताव दिये जाने के लिये अधिकृत किये जाने का पत्र संलग्न होना चाहिये। कंपनी सभी या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये करने हेतु अपने पास सुरक्षित रखती है।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक